सैनिकों को संसाधन की कमी नहीं होने देंगे

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 युद्ध की 60वीं वर्षगांठ पर वेटरन्स को सम्मानित किया

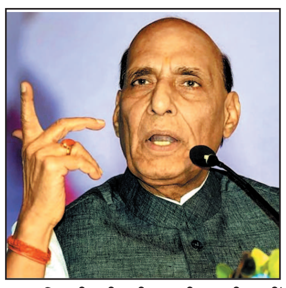

नई दिल्ली 19 सितम्बर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले सैनिकों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि मातृ भूमि की रक्षा करने वाले हर सैनिक का सम्मान व कल्याण सरकार की प्राथमिकता है.

सैनिकों तथा सेनाओं को किसी संसाधन की कमी महसूस नहीं होने देंगी. सिंह ने 1965 की लड़ाई के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में इस लड़ाई में दमखम दिखाने वाले अधिकारियों व जवानों को शुक्रवार को यहां संबोधित किया. उन्होंने पूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों को आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें सम्मान से लेकर सैन्य साजो सामान तक किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी. उन्होंने कहा आज जब मैं अपने वेटरन्स के बीच हूँ, तो मैं एक संकल्प भी आपके समक्ष दोहराना चाहता हूँ. वह संकल्प यह है, कि चाहे वह सेवारत सैनिक हों, वेटरन्स हों या हमारे शहीदों के परिवारजन, हमारी सरकार के लिए हर किसी का सम्मान और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है. सेनाओं का आधुनिकीकरण हो, प्रशिक्षण हो, या उपकरणों का उन्नयन हो, यह सब हम इसलिए कर रहे हैं, कि हमारा जवान कभी संसाधनों की कमी महसूस न करे. इस अवसर पर 1965 की लड़ाई के बाद वीर चक्र से सम्मानित अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सतीश नाम्बियार और मेजर आर एस बेदी तथा इस लड़ाई में अपने जौहर दिखाने वाले अनेक पूर्व सैनिक मौजूद थे. र

क्षा मंत्री ने कहा कि 1965 का युद्ध सिर्फ एक छोटा-मोटा संघर्ष नहीं था बल्कि वह भारत की ताकत की परीक्षा थी. पाकिस्तान ने यह सोचा कि वह घुसपैठ से गुरिल्ला लड़ाई से और अचानक हमलों से भारत को डरा देगा.

हौसले और दृढ़ प्रतिज्ञा से जीता जाता युद्ध

सिंह ने 1965 के युद्ध के दौरान फिलौरा, चाविंडा और अन्य लड़ाइयों में सेनाओं के पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की हिम्मत तोड़ दी. सेनाओं ने साबित कर दिया कि युद्ध, टैंकों से नहीं, बल्कि हौसले और दृढ़ प्रतिज्ञा से जीता जाता है. असल उत्तर की लड़ाई और उसमें अपनी बहादुरी से दुश्मन के अनेकों टैंकों को भस्म करने वाले परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस लड़ाई और इस रणबांकुरे के रणकौशल ने यह सिखाया कि हथियारों से वीरता का पता नहीं चलता बल्कि सैनिकों के दिल से पता चलता है.

उन्होंने कहा वह पल हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है. उनकी वीरता हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस, संयम और देशभक्ति का संगम, असंभव को संभव बना सकता है. तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की इच्छाशक्ति को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी युद्ध केवल रणक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है, वह पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का फल होता है. वर्ष 1965 के उस कठिन समय में, जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियाँ थीं.

अवैध सीमा पार करने वालों पर नकेल

ट्रम्प ने स्टारमर को ब्रिटेन की सीमाओं को नियंत्रित करने दिया सुझाव

लंदन, 19 सितंबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर को सुझाव दिया है कि वह अवैध प्रवासन को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ट्रम्प की ब्रिटेन की दूसरी राजकीय यात्रा के समापन पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कीर के साथ प्रवासन के मुद्दों पर चर्चा की. अवैध प्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाई है और अवैध सीमा पार करने वालों पर नकेल कसी है. एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में सीमाओं को सुरक्षित करने की अपनी नीतियों के बारे में बात की और कहा कि ब्रिटेन को भी छोटी नावों में इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रवासियों के कारण इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. ट्रम्प ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेना को बुलाते हैं या नहीं. आप किस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर से आव्रजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया और कहा कि इससे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है.

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अवैध आव्रजन देशों को अंदर से नष्ट कर देता है और हम वास्तव में अब अपने देश में बहुत से लोगों को निकाल रहे हैं. राष्ट्रपति मेलानिया ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एयर फोर्स वन से स्टैनस्टेड हवाई अड्डे से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए. ब्रिटेन और अमेरिका के पत्रकारों के साथ विस्तृत प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, दोनों ने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का बखान किया.

रूस में महसूस किए भूकंप के तेज झटके

मास्को, 19 सितंबर. रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किये गये. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई.

रूसी विज्ञान अकादमी के भूभौतिकीय सर्वेक्षण की कामचटका शाखा के अनुसार भूकंप के झटके ग्रीन मिड टाइम के मुताबिक इसका केंद्र क्षेत्रीय राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 149 किलोमीटर दूर, 39 किमी की गहराई पर स्थित था. कामचटका गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और निवासियों को सूचित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

जुबीन का जाना संगीत जगत के लिए क्षति

अरविंद केजरीवाल ने जताया निधन पर शोक

नईदिल्ली/पंजाब, 19 सितंबर. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर जुबीन गर्ग के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है.

उनकी आवाज पीढ़ियों तक याद की जाएगी. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. लाखों दिलों को अपने संगीत से मोह लेने वाले प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग के असमय निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है. उनके प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि दी. जुबीन की आवाज और उनका संगीत हमेशा लोगों के दिलों में गूंजता रहेगा. नेताओं और कलाकारों ने भी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार व चाहने वालों को यह असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति दें.

इसी बीच, पंजाब को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से खड़ा करने के लिए शुरू किया गया 'मिशन चढ़दी कला' पहले 24 घंटे में ही लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है. अभियान को देशभर से समर्थन मिल रहा है. सामाजिक संगठन, युवाओं के समूह और आम नागरिक इस पहल से जुड़कर सहयोग कर रहे हैं. मिशन चढ़दी कला का उद्देश्य राज्य में सकारात्मक माहौल तैयार करना व सामूहिक भागीदारी से विकास की राह बनाना है.

आंतरिक विवादों के बीच कांग्रेस में हलचल

वायनाड दौरे पर सोनिया और राहुल गांधी

वायनाड, 19 सितम्बर. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर वायनाड पहुंचे.

इस हाई-प्रोफाइल यात्रा को आधिकारिक रूप से निजी बताया गया है, हालांकि इसे कांग्रेस के भीतर चल रहे आंतरिक विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है. राहुल और सोनिया सुबह करीपुर हवाई अड्डे पर उतरे और हेलीकॉप्टर से पडिंजरेथरा पहुंचे. यहां प्रियंका गांधी वाड्रा और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने उनका स्वागत किया. यात्रा निजी होने के बावजूद राहुल गांधी केपीसीसी अध्यक्ष से राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे. वायनाड के स्थानीय मुद्दों को लेकर कलपेट्टा डीसीसी कार्यालय में के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक भी प्रस्तावित है. इसमें अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और अप्रैल में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों पर रणनीति बनाई जाएगी.

इस दौरे में उनके साथ के.सी. वेणुगोपाल, दीपा दास मुंशी और शफी परमबिल जैसे नेता भी मौजूद रहे. स्थानीय विधायक टी. सिद्दीकी ने बताया कि कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन आलाकमान इस यात्रा को संगठन में उभर रहे मतभेदों को सुलझाने के प्रयास के रूप में देख रहा है. हाल में पूर्व डीसीसी कोषाध्यक्ष एम.एन. विजयन और उनके बेटे, तथा ग्राम पंचायत सदस्य जोस नेलेदथ की मौत से पैदा हुए विवादों ने भी प्रियंका गांधी के पिछले दौरे को प्रभावित किया था. अब राहुल और सोनिया का यह दौरा केरल कांग्रेस में व्याप्त असंतोष को दूर करने और संगठनात्मक एकजुटता को मजबूत करने की दिशा में अहम

चंद्रयान-4 : इसरो का नया मून मिशन 2027 में होगा लॉन्च

नई दिल्ली. चंद्रयान-3 मिशन की चांद पर सफल लैंडिग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने इतिहास रच दिया था. इसके सफलता के बाद से ही इसरो मिशन मून में लगा हुआ है. चंद्रयान-3 के बाद चंद्रयान-4 मिशन पर इसरो के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं. इसकी लॉन्चिंग की तारीख को लेकर पूरी देश की नजरें टिकी हुई थी. केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को चंद्रयान-4 लॉन्चिंग की तारीख पर जानकारी दी. मून मिशन में चंद्रमा से ऐसे नमूने वापस लेकर आएगी. जो ना डैमेज हो या फिर दूषित ना हो. इसरो अब तक तीन सफल मून मिशन किया है. चंद्रयान-4 में हेवीलिफ्ट एलवीएम-3 रॉकेट के कम से कम दो अलग-अलग प्रक्षेपण शामिल होंगे .

मोदी और यूनान के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी पर की बात

नई दिल्ली 19 सितम्बर. यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-यूनान रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मज़बूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया और भारत-यूनान रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और 2026 में भारत द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए यूनान का समर्थन दोहराया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया.

गाजा में सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव पर अमेरिका ने लगाया वीटो

संयुक्त राष्ट्र, 19 सितंबर. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनजीसी) के उस मसौदा प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया, जिसमें इजरायल से गाजा में मानवीय पहुँच और आपूर्ति पर सभी प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की मांग की गई थी.

मसौदे में गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम के साथ-साथ हमास एवं अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की बिना शर्त, सम्मानजनक और तत्काल रिहाई की भी माँग की गई थी. सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत इस मसौदे को 15 सदस्यीय परिषद में से 14 मतों से समर्थन मिला. परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका के पास वीटो शक्ति है. अमेरिकी वीटो की सुरक्षा परिषद में व्यापक आलोचना हुई. अल्जीरिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमर बेंडजामा ने कहा कि मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 14 परिषद सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत के आह्वान को दोहराते हुए विवेक से काम लिया है. उन्होंने कहा, यह परिषद फिर से विफल रही, मानवता की अंतरात्मा पर एक और धब्बा.

THE JALGAON PEOPLES CO-OP. BANK LTD.
ETERNAL BOND OF TRUST
since 1933
(Multi-State Scheduled Bank)
Regd.Office : 152, Polan Peth, Dana Bazar, Jalgaon 425001 (M.S.) www.jpcbank.com

Notice of Special General Meeting : For Members

Special General Meeting of the Members of the Bank will be held under Chairmanship of Mr. Aniket Bhalchandra Patil, on Monday 6th October 2025 at 8.30 A.M. at Yashwantrao Patil Muktangan, Saraswati Nagar, Jalgaon to consider the following business. Members are requested to attend the meeting.

: Agenda :

1. To approve amendments in existing Byelaws, as recommended by the Board of Directors.

Place : Jalgaon (Maharashtra)
Date : 12.09.2025

By order of the Board
Rohit Bhujbal
Managing Director & CEO

: Note :
1) If the meeting is adjourned due to want of quorum, the said meeting will be held on the same day at the above place after half an hour and no quorum will be required for the said adjourned meeting.
2) The amendment in Byelaws have been sent to the registered email addresses of the members and a copy of the same has been kept at the Head Office and Branches and also available on our website www.jpc.bank.in/downloads

कब्जे की सूचना - (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL द्वारा यहां उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज सहित प्रभारित किया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां "IIFL HFL" द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएंगी और सुरक्षित संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "IIFL HFL" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री दलवेश श्रीमती मीरा देवी प्रॉस्पेक्ट नं. IL10090805	प्लॉट संख्या 30, मिड इंडिया टाउन, ग्राम मेठवाड़ा, ब्लॉक डेपा, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 - भारत के दक्षिणी भाग का वह पूरा टुकड़ा। क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमिक्षेत्र, कालीनक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफल: 450.00, 405.00, 450.00	रु. 944459/- (नौ लाख चवालीस हजार चार सौ उनसठ मात्र)	27-06-2025	17-09-2025

अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश/या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 20.09.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

CHANGE OF NAME

I, Hitherto Known As Rameda Bee W/O Maksood Ali R/o At Near Noor Complex, 18/2, Dist: Indore, Madhya Pradesh - 452007, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Rasheda Bee For All Future Purposes

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री अनिल कौशल पुत्र श्री बाल गोविन्द कौशल निवासी, उषा ठाकुर स्कूल के पास, 169 राधा कृष्ण नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश 452015 (आधार कार्ड नं0 9270 6665 7504) एवं मेरी मुवक्किला सरीता कौशल पत्नी श्री अनिल कौशल निवासी, उषा ठाकुर स्कूल के पास, 169 राधा कृष्ण नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश 452015 (आधार कार्ड नं0 3095 6524 0280) ने अपने पुत्र राज कौशल (आधार कार्ड नं0 5082 2635 2549) को अपने सभी चल-अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है क्योकि राज कौशल मेरे मुवक्लिन के प्रति दुर्व्यवहार करते है वह मेरे मुवक्लिन के नियंत्रण से बाहर है यदि राज कौशल के खिलाफ कोई केस मुकदमा होता है या कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेन-देन करता है तो मेरे मुवक्लिन की कोई जिम्मेदार नही होगी मेरे मुवक्लिन अपने पुत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी एवं उत्तरदायी नही होगें।

अंकिता आजाद, अधिवक्ता
Ch. No. B-17A, BGS Block, Tis Hazari Courts, Delhi - 54

IN THE COURT OF Ld. SCJ-cum-RC, EAST DISTRICT KARKARDOOMA COURTS, DELHI
SUIT NO. CS/331/2021
NARENDER CHAWLA
Vs.
TRILOCHAN SINGH CHHABRA
SUMMONS/NOTICE FOR SERVICE BY ADVERTISEMENT IN A NEWSPAPER
(o.V, r. 20)

To,
Defendant, Mr. TRILOCHAN SINGH CHHABRA PROP. OF CHHABRA ENTERPRISES, HAVING ITS OFFICE AT 1/2, JAORA COMPUND, INDORE, MADHYA PRADESH, PINCODE-452002

Whereas Plaintiff, NARENDER CHAWLA, has instituted the above Suit/filed an application against you for Suit for Recovery of Rs. 2,42,773.15/- (Rs. Two Lakh Forty two Thousand seven Hundred seventy three and fifteen Paise Only) as on Dt. 06.04.2021 You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader on the NDOH ie. 26.11.2025, at 10:00 am, to answer the same, failing which the suit/application will be disposed of ex-parte.

Seal

SCJ-cum-RC, EAST DISTRICT KARKARDOOMA COURTS, DELHI

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (म.प्र.) 450001
(जनकार्य एवं उद्यान विभाग)

क्रमांक-832/जन.वि./ई-टेंडरिंग/2025 खंडवा, दि. 18/09/2025

:: निविदा विज्ञप्ति ::

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य की निविदा का विस्तृत विवरण ऑनलाईन वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

ऑनलाईन पोर्टल	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जीएसटी सहित (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2.	3.	4.	5.	6.	7.
. 2025_UAD_452706_1	नगर पालिक निगम खंडवा अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण का कार्य।	20.00 Lacs	20,000/-	2,000/	15 दिन

निविदा ऑनलाईन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक :- 16.10.2025 (शाम 5.30 बजे तक)
निविदा खोलने की दिनांक:- 18.10.2025 (प्रातः 10.30 बजे)
निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, खण्डवा

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	1. (ऋण खाता क्रमांक 0300010486846 (पुराना) 80300010486846 (नया) LNMEMN1000131826 (पुराना) 80300005875847 (नया) (मंदसौर शाखा) श्री जसपाल सिंह आंजना उपनाम श्री जसपाल सिंह आंजना पुत्र श्री मोहन लाल अंजना (उधारकर्ता) श्रीमती बाली बाई पत्नी श्री जसपाल सिंह आंजना, श्री मोहन लाल अंजना पुत्र श्री चतर भुज अंजना (सह-उधारकर्ता)	06.09.2025 रु. 40,85,279/- (वर्तमान में) 02-सितंबर-25)	आवासीय संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, प्लॉट/मकान, प्लॉट क्षेत्रफल 10764 वर्ग फुट, आराजी संख्या 1158/1150, पटवारी हल्का/पटवार मंडल - बसाड़, गाँव चेनिया खेड़ी, तहसील और जिला प्रतापगढ़, राजस्थान 312605। सीमाः पूर्व में: श्री जसवंत सिंह की भूमि, पश्चिम में: श्री अर्जुन सिंह की भूमि, उत्तर में: कृषि भूमि, दक्षिण में: प्रतापगढ़-चेनिया खेड़ी रोड

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकर्ताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 20-09-2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)" को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय होगा। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता संख्या LNHLSHM000050595 (पुराना) 50300000890231 (नया) (शामगढ़ शाखा) श्री शंकर सिंह (उधारकर्ता) श्रीमती विष्णु कुंवर, श्री बद्री सिंह (सह-उधारकर्ता)	06.09.2025 रु. 5,10,186/- (02-सितम्बर-25 तक)	सर्वे क्रमांक 382, पट्टा क्रमांक 26917, 2500 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले गांव खामला, ग्राम पंचायत देवगढ़, पंचायत समिति और तहसील डग, जिला झालावाड़, राजस्थान - 326514 पर स्थित भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तरः शंभू सिंह का मकान, दक्षिणः सोदान सिंह का मकान, पूर्वः सड़क, पश्चिमः नारायण सिंह का मकान

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 20-09-2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालयः प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस

आपके, निवेदन पर हमारी शाखा द्वारा निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों, आपको विभिन्न वित्तीय साख सीमाएं स्वीकृत की थी एवं हमको देय कुल राशि में से आपने पूरी राशि भुगतान करने में चूक की है। चूकि आपने आपकी पूर्ण देयताओं के भुगतान में चूक की है अतः हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आपकी देयताओं को गैर निष्पादक आस्तियों (NPA) के रूप में **पलासिया शाखा की (एनपीए तिथि) 25.08.2025 एवं स्कीम नं. 78 शाखा की (एनपीए तिथि) 11.08.2025** को वर्गीकृत किया है। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा अनेकों बार नोटिस देने एवं व्यक्तिगत निवेदन के पश्चात भी कथित ऋणों का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया गया। आपको विदित है कि हमारे द्वारा दी गई विभिन्न साख सीमाएं निम्न संपत्तियों (सुरक्षित संपत्तियों) द्वारा अभिरक्षित है।

क्रं.	ऋणी/संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता के नाम एवं पते	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक / ₹ बकाया राशि
	पलासिया शाखा, इन्दौर		
1.	**मेसर्स रुकमणी इलेक्ट्रिकल्स (ऋणी), प्रो.: श्री कमल परमार पिता श्री नारायण परमार, युनीट का पता:** दुकान नं. 28, वाईब्रेन्ट ग्रीन, ओमेक्स सिटी, इन्दौर (म.प्र.) **रहवासी पता: (1)** सी-270, समर पार्क कॉलोनी, निपानिया, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.), **(2)** मकान नं. 90, वाईब्रेन्ट ग्रीन, ओमेक्स सिटी, इन्दौर (म.प्र.)	प्लाट नं. 36, पटवारी हल्का नं. 17, वाईब्रेन्ट ग्रीन, ग्राम मायाखेड़ी, तहसील एवं जिला इन्दौर का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 1102 वर्गफीट (102.41 वर्गमीटर), मालिक: श्री कमल परमार पिता श्री नारायण सिंह परमार, चर्तु:सीमा: पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** प्लाट नं. 57, **उत्तर:** प्लाट नं. 37, **दक्षिण:** प्लाट नं.35	मांग सूचना दिनांक 26.08.2025 **20,44,396.00** + दिनांक 27.08.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व चार्जेस
	स्कीम नं. 78 शाखा, इन्दौर		
2.	**श्रीमती नेहा शर्मा पति श्री अजय शर्मा (अभी मृत) उनके कानूनी उत्तराधिकारी, जो बैंक को ज्ञात नहीं** मकान नं. 63, वार्ड नं. 8, डीलक्स, एमआईजी त्रिलोक नगर, देवास (म.प्र.) 455001	मकान नं. 63, वार्ड नं. 8, डीलक्स, एमआईजी त्रिलोक नगर, तहसील देवास, जिला देवास पर स्थित रहवासी मकान का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 1080 वर्गफीट, रजिस्टर्ड सेल डीड नं.** MP108942024A1254980 **दिनांक 28.02.2024 सह/संयुक्त रजिस्ट्रार देवास में रजिस्जर्ड के अनुसार मालिक: श्रीमती नेहा शर्मा, चर्तु:सीमा: पूर्व:** एमआईजी सुपर 64, **पश्चिम:** एमआईजी सुपर 62, **उत्तर:** एमआईजी सुपर 53, **दक्षिण:** कॉलोनी की सड़क	मांग सूचना दिनांक 08.09.2025 **24,42,146.00** + दिनांक 08.09.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्चे व चार्जेस

उपरोक्त वर्णित कारणों से हम आपसे नोटिस जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के अन्दर आपकी देयताओं की सम्पूर्ण रूप से भुगतान की मांग करते है जिसमें चूक की दशा में वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत हम अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** के हित मे प्रतिभूत की गई आस्तियाँ को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रय पत्र, लीज या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते है की यदि आपने अधिनियम के प्रावधानों की अवेहलना की तो वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2002 की उप धारा 29 के अर्न्तगत एक वर्ष की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। **अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 20.09.2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया